ई–मेल / डाक / आवश्यक

राजस्थान सरकार
(निर्वाचन विभाग)

क्रमांकःएफ1(5)III / सी / निर्वा / एफएलसी / 2013 / 681 जयपुर,दिनांक 5.3.2013

प्रेषक : मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
राजस्थान, जयपुर।

प्रेषित : समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी,
(कलक्टर) राजस्थान।

विषय : आगामी विधानसभा आम चुनाव का दृष्टिगत रखते हुए इलेक्ट्रोनिक वोटिंग मशीनों की तकनीकी जॉच कर चुनाव हेतु आवश्यक ईवीएम की संख्या का आंकलन करने बाबत्।

प्रसंग भारत निर्वाचन आयोग के उप चुनाव आयुक्त का अ0शा0 पत्र क्रमांक 51 / 8 / 16 / 4 / 2013–ईएमएस / 964 दिनांक 25 फरवरी, 2013 एवं समसंख्यक पत्र दिनांक 25 फरवरी, 2013 एवं इस विभाग का समसंख्यक पत्र क्रमांक 419 दिनांक 11.2.2013

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत इस विभाग के समसंख्यक पत्र क्रमांक 419 दिनांक 11.2.2013 के द्वारा आपको निर्देशित किया गया है कि आगामी विधानसभा आम चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए ईवीएम की प्रथम स्तरीय जॉच हेतु नोडल अधिकारी की नियुक्ति, मैन–पावर का चिन्हिकरण तथा जॉच हेतु स्थान भी चिन्हित कर लिया जाए जिससे इस कार्य के दौरान किसी प्रकार की कठिनाई न हो।

2. भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्देशित किया गया है कि किसी कोर्ट केस एवं चुनाव याचिका में बाधित ईवीएम को छोड़ते हुए समस्त ईवीएम की तकनीकी जॉच करवाई जाए जिससे त्रुटिरहित एवं चालू स्थिति में उपलब्ध ईवीएम की संख्या का आंकलन किया जा सके, जिनका प्रयोग चुनाव के दौरान किया जा सकता है।

3. भारत निर्वाचन आयोग ने इस विषय में यह भी निर्देशित किया है कि आपके जिले में उपलब्ध सभी ईवीएम की जॉच का कार्य निर्माता फर्म के इंजीनियर्स एवं टेक्नीशियनों द्वारा किया जायेगा। इनके कार्यक्रम के विषय में आपको यथासमय अवगत करा दिया जायेगा।

4. ऐसी सभी ईवीएम जो मैकनिक्ल त्रुटि के कारण चालू हालत में नहीं है उनको ईवीएम निर्माता फर्म के इंजीनियर्स द्वारा मरम्मत कर मौके पर ही सही किया जायेगा। ऐसी ईवीएम जो इलेक्ट्रोनिक पार्ट्स की खराबी के कारण चालू हालत में नहीं है उनको मौके पर सही नहीं किया जाकर पृथक कर लिया जायेगा एवं उनको सही करने के लिए निर्माता कम्पनी की फैक्ट्री में स्थानांतरित किया जायेगा।

5. ऐसी ईवीएम जिनमे गत् विधानसभा / लोकसभा आम चुनाव / उप चुनाव के दौरान खराबी आ गयी थी, उनका पृथक से परीक्षण करवा लिया जाए एवं उनकी खराबी को यदि सम्भव हो सके तो ठीक करवा लिया जाए, जिन ईवीएम की लैब टेस्ट करना आवश्यक हो उन्हें फैक्ट्री में लेब टेस्ट एवं सही करने के लिए फैक्ट्री को स्थानांतरित करने के लिए पृथक कर लिया जायेगा।

6. विभाग द्वारा भारत इलैक्ट्रोनिक लिमिटेड, बैंगलोर से सम्पर्क किया जा रहा है तथा यह सम्भावित है कि जॉच का कार्य दिनांक 16 मार्च, 2013 से प्रारम्भ किया जाकर दिनांक 15 अप्रैल, 2013 तक पूर्ण करवा लिया जाए। इस विषय में कार्यक्रम की सूचना आपको पृथक से प्रेषित की जायेगी।

7. आयोग के दिशा–निर्देशों के अनुसार निर्माता फर्म के इंजीनियर्स एवं टेक्नीशियनों द्वारा ईवीएम की तकनीकी जॉच का कार्य सम्पादित करने के पश्चात् निम्न प्रपत्र में सूचना विभाग को प्रेषित करनी होगी।

क्र. सं.	विवरण	संख्या	
		बीयू	सीयू
1.	निर्माता फर्म की एजेन्सी द्वारा जॉच की गयी कुल ईवीएम की संख्या		
2.	कुल ईवीएम की संख्या जो कि पूर्णतया चालू हालत में पाई गयी		
3.	यांत्रिक त्रुटि वाली ईवीएम की संख्या		
	(ए) कुल ईवीएम की संख्या जिनमे यांत्रिक त्रुटि पायी गयी		
	(बी) इनमें ठीक करने के बाद चालू स्थिति में ईवीएम की संख्या		
4.	ऐसी ईवीएम की संख्या जिसके इलेक्ट्रोनिक Components में खराबी है तथा जिनको फैक्ट्री में भेजने हेतु चिन्हित किया गया है।		
5.	कुल ईवीएम की संख्या जिनकी किसी न्यायालय में वादग्रस्त होने के कारण जॉच नहीं की गयी है।		
6.	उपरोक्त के अनुसार अब कुल ईवीएम की संख्या जो जॉच के बाद चालू हालत में है।		

8. आपके द्वारा उक्त कार्य सावधानीपूर्वक कराया जाना है, क्योंकि आगामी विधानसभा आम चुनाव के दौरान इन्ही ईवीएम का प्रयोग किया जायेगा तथा जॉच के बाद ही आपके जिले को निर्धारित मापदण्ड के अनुसार ईवीएम आवंटित करने के विषय में कार्यवाही की जायेगी।

कृपया उपरोक्त विषय में प्रारम्भिक कार्यवाही सम्पादित कर लें जिससे कार्यक्रम निर्धारित होने पर निर्माता फर्म के इंजीनियर्स एवं टेक्नीशियनों द्वारा जॉच का कार्य अविलम्ब प्रारम्भ किया जा सके।

भवदीय,

(अशोक जैन)
मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
राजस्थान,जयपुर।